

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 12/2022

1. रणजीत पुत्र दलूराम जाति जाट निवासी 13 एस.पी.डी.-बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

--वादीगण

बनाम

1. दलूराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी बड़ोपल हालआबाद 13 एस.पी.डी.-बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. विद्यादेवी पत्नी दलूराम जाति जाट निवासी 13 एस.पी.डी.-बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. कलावती पत्नी ओमप्रकाश पुत्री दलूराम जाति जाट निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सुमित्रा पत्नी निहालसिंह पुत्री दलूराम जाति जाट निवासी लखुवाना तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
5. विमला देवी पत्नी कालूराम पुत्री दलूराम जाति जाट निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. सन्तोष पत्नी कृष्णलाल पुत्री दलूराम जाति जाट निवासी 13 एस.पी.डी.-बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

--प्रतिवादीगण


--:: उपस्थित अभिभाषकगण ::--

1. श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता --- वादी
2. श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 6


निर्णय

दिनांक :- 19/01/2022

वादी की ओर से श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादी रणजीत को तहसील पीलीबंगा के चक 12 एस.टी.बी. के खाता संख्या 80 के प.न. 26/356(42) के किला नं. 21 ता 2 की 1.010 हैक्. व प.नं. 26/357(43) के किला नं. 1 ता 20, 21/1/0.202, 22/2/0.202, 23/2/0.202, 24/2/0.202, 25/2/0.202 की 6.070 हैक्. इस प्रकार दोनो पत्थरो की कुल 7.080 हैक्. कमाण्ड में से 1/7 हिस्सा यानि 1.011 हैक्. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।



19.01.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त
घणित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो
नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन
करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज
दिनांक 19.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेंआम सुनाया गया।

 18.01.2022

(रणजित कुमार) सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 19.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेआम सुनाया गया।

 19.01.2022

(रणजीत कुमार कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पदेन सहायक कलक्टर

पीलीबंगा